निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 24/2020 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये राजेश कुमार टांक, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भागू सिंह, निवासी मकान नम्बर 11, लक्ष्मी कॉलानी, बढारणा रोड, हरमाडा, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (3 बीपीस एवं 1 आईओसी) मय एलपीजी 46.800 किलोग्राम, नोन आई.एस.आई. ब्राण्ड के 2 छोटे सिलेण्डर (क्षमता 3 से 4 किलोग्राम) दो पीतल की बांसुरीनुमा यंत्र, गैस डायरिया एवं एक कांटा व 3 बांट को राजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थितः–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री मितेन्द्र कुमार मीणा, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 03.12.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक **14.04.2020 को मकान नम्बर 11, लक्ष्मी कॉलोनी, बढारणा रोड, हरमाडा जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (3 बीपीस एवं 1 आईओसी), नोन आई.एस.आई. ब्राण्ड के 2 छोटे सिलेण्डर (क्षमता 3 से 4 किलोग्राम) दो पीतल की बांसुरीनुमा यंत्र, गैस डायरिया एवं एक कांटा व 3 बांट पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरो में अवैध रिफिलिंग करना पाया गया है।** जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 22.06.2020 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। **अप्रार्थी की ओर से मितेन्द्र कुमार मीणा ने वकालतनामा पेश किया।**

कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि **मकान नम्बर 11, लक्ष्मी कॉलोनी, बढारणा रोड, हरमाडा जयपुर की जांच की गई। मौके पर श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गागु सिंह की उपस्थिति में परिसर की जांच करने पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (3 बीपीस एवं 1 आईओसी), नोन आई.एस.आई. ब्राण्ड के 2 छोटे सिलेण्डर (क्षमता 3 से 4 किलोग्राम) दो पीतल की बांसुरीनुमा यंत्र, गैस डायरिया एवं एक कांटा व 3 बांट पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरो में अवैघ रिफिलिंग करना पाया गया है। मौके पर मैसर्स दिशा मुरलीपुरा इण्डेन गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री सत्तार खान पुत्र श्री सरवर खान को साल्टर मशीन के साथ बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरो में कुल 46.800 किलो ग्राम एल॰पी.जी॰ पाई गई।** मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाव दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थ ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी के कब्जे से जब्त घरेलू सिलेण्डर विभिन्न गैस एजेन्सियों के ठेकेदारो के माध्यम से प्राप्त कर डिलीवरी किये जाने रखे हुये थे। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जब्त घरेलू सिलेण्डर्स रिलिज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. पैरोकार रसद की बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक **14.04.2020** का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच **04 घरेलू गैस सिलेण्डर (3 बीपीस एवं 1 आईओसी) मय एलपीजी 46.800 किलोग्राम, नोन आई.एस.आई. ब्राण्ड के 2 छोटे सिलेण्डर (क्षमता 3 से 4 किलोग्राम) दो पीतल की बांसुरीनुमा यंत्र, गैस डायरिया एवं एक कांटा व 3 बांट पाये गये। अप्रार्थी द्वारा बांसूरीनुमा यंत्र से घरेलू गैस सिलेण्डरर्स से छोटे नोन आई.एस.आई. सिलेण्डर में एल.पी.जी. का स्थानान्तरण किये जाने की पुष्टि होती है।** घरेलू एल॰पी.जी॰ कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से **छोटे नोन आई.एस.आई. सिलेण्डर में एल.पी.जी. का स्थानान्तरण** का कार्य किया जाता है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैघ मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त **04 घरेलू गैस सिलेण्डर (3 बीपीस एवं 1 आईओसी) मय एलपीजी 46.800 किलोग्राम, नोन आई.एस.आई. ब्राण्ड के 2**

जिला कलक्टर
जयपुर

छोटे सिलेण्डर (क्षमता 3 से 4 किलोग्राम) दो पीतल की बांसुरीनुमा यंत्र, गैस डायरिया एवं एक कांटा व 3 बांट को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 22.06.2020 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर